राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसों को लेकर हाई कोर्ट की सख्ती, कहा- बचाव के लिए तैयार करें रोडमैप

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की मानिटरिंग जारी रखी है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की युगलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने क्षेत्रीय निदेशक, एनएचएआइ रायपुर को हादसों को रोकने के लिए रोडमैप तैयार करने और व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। हालांकि, अपरिहार्य कारणों से क्षेत्रीय निदेशक की ओर से अधिवक्ता ने हलफनामा दाखिल करने के लिए दो दिन का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी।

अगले सप्ताह तय होगी सुनवाई: एनएचएआइ के अधिवक्ता धीरज वानखेड़े ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि अधिकारियों द्वारा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। लेकिन क्षेत्रीय निदेशक द्वारा हलफनामा दाखिल करने में देरी के कारण समय मांगा गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सुनवाई अगले सप्ताह के लिए तय की है।

एनएचएआइ ने कहा था कि हरसंभव कदम उठाए जा रहे

पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को निर्देश दिया था कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी जरूरी सावधानियां बरती जाएं। कोर्ट ने अन्य राज्यों की तर्ज पर **छत्तीसगढ़ में भी रोडमैप तैयार करने** का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ताकि जनहानि को रोका जा सके। 17 नवंबर 2024 को हुई सुनवाई में एनएचएआइ ने हलफनामे में बताया था कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हर संभव एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हितधारकों द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद दुर्घटनाओं पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने राज्य के नागरिकों को सतर्क रहने की भी अपील की थी।

हाई कोर्ट ● फाइल फोटो